



2026:AHC: 10686

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 43600/2025

राम अवतार और 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अमर सिंह यादव, विनोद कुमार यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, हरि नारायण सिंह

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- वर्तमान रिट याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात उप जिलाधिकारी, तहसील-सदर, जनपद-कन्नौज द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 76(1) के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही में पारित आदेश दिनांक 29.09.2025 को चुनौती दिया गया है।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं के पास अपीलीय के समक्ष अपील दायर करने का वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, जैसा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत प्रदान किया गया है।
- तदनुसार, वैधानिक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

16 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।